

**महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय(स्व. संस्था), ए.बी. रोड, इंदौर फो.न.2527383, 2527679**

क्रमांक...984/7/ पैरामेडिकल / 2015

इंदौर, दिनांक 26-6-2015

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन**

स्वशासी समिति महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर के अंतर्गत म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त शैक्षणिक सत्र 2015-2016 के लिए विभिन्न निम्न स्ववित्तीय द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक को बारहवीं परीक्षा (10+2) हायर सेकेन्डरी बायलॉजी समूह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बारहवीं में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिये जावेंगे। न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के लिए तथा 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के लिये होंगे।

सभी पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण उपलब्ध है, एवं शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति देय है। 10 प्रतिशत स्थान विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।

मेडिकल कालेज इंदौर में म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर सम्बद्धता द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों एवं उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र | पाठ्यक्रम का नाम   | उपलब्ध सीट |
|-----|--|------------|
| 1   | मेडिकल लेब (पैथलॉजी) तकनिशियन (द्विवर्षीय डिप्लोमा)                | 20         |
| 2   | पैरामेडिकल आथलमिक असिस्टेण्ड (द्विवर्षीय डिप्लोमा)                 | 06         |
| 3   | एक्स-रे रेडियोग्राफर तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)               | 20         |
| 4   | एनेस्थेसिया तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                        | 20         |
| 5   | आर्थोपेडिक्स तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                       | 20         |
| 6   | आपरेशन थेयटर (ओ.टी.) तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)               | 20         |
| 7.  | इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ई.सी.जी.) तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र) | 20         |

उपरोक्त द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय प्रमाण-पत्र तकनिशियन पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु निर्देशिका एवं आवेदन पत्र दिनांक 27.6.2015 से 17.7.2015. साय 05:00 बजे तक रूपये 150/- (शब्दों में रु. एक सौ पचास मात्र) नगद भुगतान कर महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ए.बी. रोड इन्दौर से कार्यालयीन समय में प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर) प्राप्त किये जा सकते हैं। रजिस्टर्ड डाक द्वारा मंगवाने पर रूपये 200/- (शब्दों में रु. दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था, ए.बी. रोड, इन्दौर म.प्र. के नाम पर देयकर (समयावधि में) मंगवाया जा सकता है।

शासकीय (विभागीय) कर्मचारियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

प्रथम सीट:- अनारक्षित, द्वितीय सीट:- अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ष 2015

अनुसूचित जनजाति वर्ष 2016 अनुसूचित जाति वर्ष 2017




तकनिशियन पाठ्यक्रम के पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20.7.2015. अपरान्ह 5:00 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। तकनिशियन पाठ्यक्रमों में चयन हेतु काउन्सिलिंग की तिथि.31.7.2015 समय प्रातः 9:00 बजे मेडिकल कालेज सभागृह में आयोजित की जायेगी। काउन्सिलिंग में उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

*SR*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गॉ.स्मृ.चिकि.महावि.एवं सं.चिकि., इन्दौर



# सह-चिकित्सीय दो वर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय प्रमाण-पत्र तकनीशियन कोर्स स्ववित्तीय



महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. नियम पुस्तिका एवं आवेदन पत्र विक्रय : प्रारंभ होने की तिथि 27.06.2015 अंतिम तिथि 17.07.2015
2. भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 20.07.2015 सांय 5 बजे तक
3. प्रावीण्य सूची की घोषणा : 27.07.2015 सांय 5 बजे तक
4. काउन्सिलिंग : 31.07.2015 प्रातः 9.00 बजे मेडिकल कॉलेज सभागृह  
फीस भुगतान : काउन्सिलिंग के तत्काल बाद अनिवार्य रूप से 31.07.2015 समय प्रातः 9.00 बजे
6. कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि : 07.08.2015



## निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

मूल्य - 150/- रु.

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं  
संबंधित चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी :

डॉ. उल्का श्रीवास्तव

डॉ. सी.बी. कुलकर्णी

डॉ. पी. एस. माटिया

डॉ. दिनेश सोनकर

डॉ. आर.के. माथुर

डॉ. ए.के. भरण

## संदेश



महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर प्रदेश का ही नहीं अपितु इस देश की एक अत्यंत पुरानी गौरवमयी परम्परा को निभानेवाली संस्था है जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न मेडिकल विषयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लगभग 59 वर्ष पूर्व 75 वर्षीय किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल का उन्नयन कर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस गौरवमयी 134 वर्षीय इतिहास में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, ग्यारहपंच ट्रस्ट कैंसर अस्पताल, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, चाचा नेहरु बाल चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, मानसिक चिकित्सालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाएं सम्मिलित रही हैं। इसी श्रृंखला में पिछले कुछ वर्षों से इस संस्था के द्वारा साढ़े-चार वर्षीय फिजियोथेरेपी डिग्री पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। जिसका प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।

पिछले तेरह वर्षों से म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल एवं म.प्र. शासन द्वारा इस संस्था को एक वर्षीय- ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन कोर्स मेडिकल लेबोरेटरी तकनिशियन कोर्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ई.सी.जी.) तकनिशियन कोर्स, आर्थोपेडिक्स तकनिशियन कोर्स, एनेस्थिसिया तकनिशियन कोर्स, एक्स-रे- रेडियोग्राफर तकनिशियन कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी कड़ी में वर्ष 2015 से डी.ए.वी.वी. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं म. प्र. शासन द्वारा इस संस्था को दो वर्षीय डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन कोर्स एवं आप्टोमेट्री असिसटेन्ट कोर्स की अनुमती प्रदान की गयी है। इन पाठ्यक्रमों के महत्व के बारे में संक्षेप में यहां उल्लेख करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वर्तमान में विषय में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन बिना सह-चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) के एक दिवा स्वप्न सा है। इसलिए आज के चिकित्सा क्षेत्र में इन पाठ्यक्रमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को उनके उज्रवल भविष्य के लिए शुभकामनाओं सहित।

दिनांक : 17.06.2015

**डॉ. एम. के. राठौर**

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गां. स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं  
संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था, इन्दौर

## कार्यकारिणी

सलाहकार :

श्री व्ही.सी. सेमवाल

आय.ए.एस.

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल म.प्र.

डॉ. एस. एस. कुशवाह

संचालक, एम.डी.

चिकित्सा शिक्षा

म.प्र. भोपाल

डॉ. एम. के. राठौर

एम.एस.

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.गां.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय

स्वशासी संस्था, इन्दौर

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

पाठ्यक्रम सलाहकार

सम्पर्क अधिकारी एवं समन्वयक

समन्वयक

डॉ. श्रीमति अनिता मूथा

माइक्रो बायलॉजी विभाग

डॉ. सविता व्यास

फार्माकोलॉजी विभाग

डॉ. संगीता पानेरी

बायोकेमेस्ट्री विभाग

डॉ. सोनिया मोजेस

सर्जरी विभाग

डॉ. सूरज सिरोही

सामुदायिक चिकित्सा विभाग

डॉ. राहुल रोकडे

सामुदायिक चिकित्सा विभाग

**प्रभारी अधिकारी :**

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| डॉ. उल्का श्रीवास्तव     | : | ऑप्टोमेट्री असि. नेत्र विभाग             |
| डॉ. सी.व्ही. कुलकर्णी    | : | पैथालॉजी तकनिशियन कोर्स                  |
| डॉ.पी. एस. भाटिया        | : | एनेस्थिसिया तकनिशियन कोर्स               |
| डॉ. दिनेश सोनकर          | : | आर्थोपेडिक्स तकनिशियन कोर्स              |
| डॉ.आर.के.माथुर           | : | ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन कोर्स             |
| डॉ.ए. के. भराणी          | : | इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ई.सी.जी.) कोर्स |
| डॉ. श्रीमति अलका अग्रवाल | : | एक्स-रे रेडियोग्राफर तकनिशियन कोर्स      |

**पाठ्यक्रम समन्वयक**

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| मेडिसिन विभाग          | : | डॉ. धर्मेन्द्र झंवर  |
| सर्जरी विभाग           | : | डॉ. अंकुर माहेश्वरी  |
| रेडियोडायग्नोसिस विभाग | : | डॉ. राकेश विजयवर्गीय |
| आर्थोपेडिक्स विभाग     | : | डॉ. दीपक मंत्री      |
| एनेस्थिसिया विभाग      | : | डॉ. मोनिका गांधी     |
| पैथालॉजी विभाग         | : | डॉ. पंकज शिन्दे      |
| ऑपथॅलमोलॉजी विभाग      | : | डॉ. प्रिती रावत      |

**संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष**

|                        |   |                              |
|------------------------|---|------------------------------|
| ऑपथॅलमोलॉजी विभाग      | : | डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव |
| पैथालॉजी विभाग         | : | डॉ. सी.व्ही. कुलकर्णी        |
| एनेस्थिसिया विभाग      | : | डॉ. वी. एस. भाटिया           |
| आर्थोपेडिक्स विभाग     | : | डॉ. दिनेश सोनकर              |
| एनाटॉमी विभाग          | : | डॉ.श्रीमति एस. श्रीवास्तव    |
| सर्जरी विभाग           | : | डॉ.आर. के. माथुर             |
| मेडिसिन विभाग          | : | डॉ. ए. के. भराणी             |
| बायोकेमेस्ट्री विभाग   | : | डॉ. श्रीमती पूर्णिमा सरकार   |
| फिजियोलॉजी विभाग       | : | डॉ. श्रीमती रजनी सोनी        |
| रेडियोडायग्नोसिस विभाग | : | डॉ. श्रीमती अलका अग्रवाल     |

**नियम एवं निर्देश**  
**वर्ष 2015-2016**

**अ. उपलब्ध पाठ्यक्रम**

**द्विवर्षीय सह-चिकित्सीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम**

1. मेडिकली लेबोरेटरी तकनीशियन ।
2. आप्टोमेट्री असिस्टेंट कोर्स ।

**एक वर्षीय (सह-चिकित्सीय) प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।**

1. ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन कोर्स
  2. इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफी (ई.सी.जी) तकनिशियन कोर्स
  3. आर्थोपेडिक्स तकनिशियन कोर्स
  4. एनेस्थेसिया तकनिशियन कोर्स
  5. एक्स-रे रेडियोग्राफर तकनिशियन कोर्स
1. द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष तथा एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की रहेगी। तत्पश्चात 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण इसी संस्था में करना होगा।
  2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्रतिवर्ष 20 सीट है। प्रवेश प्रावीण्य सूची के अनुसार होगा।

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम  | उपलब्ध सीट |
|------|---|------------|
| 1.   | मेडिकल लेब (पैथॉलॉजी) तकनिशियन (द्विवर्षीय डिप्लोमा)                | 20         |
| 2.   | आप्टोमेट्री असिस्टेन्ट कोर्स (द्विवर्षीय डिप्लोमा)                  | 06         |
| 3.   | एक्स-रे रेडियोग्राफर तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                | 20         |
| 4.   | एनेस्थेसिया तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                         | 20         |
| 5.   | आर्थोपेडिक्स तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                        | 20         |
| 6.   | ऑपरेशन थियेटर (ओ.टी) तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र)                | 20         |
| 7.   | इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफी (ई.सी.जी.) तकनिशियन (एकवर्षीय प्रमाण-पत्र) | 20         |

**ब. सीटों का आरक्षण**

3. सीटों का आरक्षण एवं आवंटन मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगा।
4. प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
5. 3 प्रतिशत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक वर्ग के लिये आरक्षित होगी।
6. 3 प्रतिशत सीट कोर्स के लिए पात्र विकलांग के लिए आरक्षित होगी।
7. म.प्र. शासन के नियमानुसार विभिन्न श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

| श्रेणी           | कुल सीट                                      |
|------------------|--|
| अनारक्षित        | 10 (9+1 सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु)  |
| अनुसूचित जनजाति  | 4  |
| अनुसूचित जाति    | 3  |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 3 (2 + 1 सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु) |
| <b>योग</b>       | <b>20</b>                                    |

यदि किसी आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो वह सीट शासकीय नियमानुसार अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित की जा सकती है।

(1) सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

प्रथम सीट - अनारक्षित

द्वितीय सीट - अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ष 2015

अनु. जनजाति वर्ष 2016

अनु. जाति वर्ष 2017

UR - 50%

ST - 20%

SC - 16%

OBC - 14%

**आप्टोमेट्री असि. पाठ्यक्रम कुल सीट - 06**

| क्र. | वर्ष | श्रेणी    |                 |               |                  | कुल |
|------|------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-----|
|      |      | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |     |
| 1.   | 2015 | 3*        | 1               | 1             | 1                | 6   |
| 2.   | 2016 | 3         | 1*              | 1             | 1                | 6   |
| 3.   | 2017 | 3         | 1               | 1*            | 1                | 6   |
| 4.   | 2018 | 3         | 1               | 1             | 1*               | 6   |

\* एक सीट सेवारत उम्मीदवार हेतु।

\* सेवारत उम्मीदवार हेतु।

क्षेत्रीय रूप से महिला आरक्षण (32%) का पालन किया जावेगा।

(2) उपरोक्तनुसार एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य में उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जाएगी। यह एक निरन्तर प्रक्रिया रहेगी। यदि किसी आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है, तो वह सीट शासकीय नियमानुसार अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को आवंटित की जा सकेगी।

### स. प्रवेश पात्रता

1. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पैटर्न की 12 वीं कक्षा (हायर सेकेन्डरी) की परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय (P.C.B.) लेकर उत्तीर्ण की हो। हायर सेकेन्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 परीक्षा कम से कम 40 प्रतिशत अंको से पास हो। आरक्षित श्रेणी कम से कम 33 प्रतिशत अंको से पास हो। (म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद नं मान्यता /1653(04) दि. 3.9.2004 के अनुसार)
2. उम्मीदवार कक्षा 10+2 (हायर सेकेन्डरी कक्षा 12वीं) साइन्स बायोलॉजी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अथवा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्य होने पर मान्यता प्राप्त व्होकेशनल कोर्स जैसे के अंतर्गत यदि संबंधित विषय बायोलॉजी समूह से होने पर (10+2 हायर सेकेन्डरी) पात्र हो तो इस विषय में मेरिट आधार पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार किया जावेगा।
3. वर्ष की 31 जुलाई तक उम्र कम से कम 17 हो (एक्स-रे रेडियोग्राफर के लिये 18 वर्ष) तथा अधिकतम 23 वर्ष पुरुष के लिये तथा 28 वर्ष महिला के लिये हो। उक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदक शासकीय कर्मचारियों की नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन लागू नहीं होगा।
4. पाठ्यक्रम चयन की पात्रता कक्षा बारहवीं में प्राप्त अंको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर होगा।
5. कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण्य सूची बनाई जायेगी। समान कुलांक होने पर परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके द्वारा प्राप्तांकों को आधार बनाकर की जायेगी-  
जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी। इन सभी में भी समानता होगी तो उम्र में वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट अन्नापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ नियमित सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को निर्धारित आवेदन-पत्र विभाग द्वारा अनुमति अग्रेषित करवाकर समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्हें विज्ञान विषय (जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी) में कक्षा बारहवीं 10+2 हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम चयन हेतु बारहवीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची ही मुख्य आधार होगा।
7. म.प्र. के मूल निवासियों को ही प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। मगर कोई सीट खाली रहती है तो दूसरे राज्य के छात्र को प्रवेश दिया जा सकता है।
8. सभी मार्कशीट्स प्रमाण - पत्रों एवं सम्बंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नामों में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
9. उम्मीदवार के द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदल) नहीं किया जावेगा।

10. मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने अथवा आवंटित/प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे।
11. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ महाविद्यालय सभाग्रह में उल्लेखित समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
12. काउंसलिंग में उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और इसके लिए अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा।
13. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु यात्रा अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
14. पैरामेडिकल प्रमाण पत्र एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण उपरान्त छात्र-छात्रा एवं सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है। नियमानुसार पंजीयन फार्म पैरामेडिकल शाखा से प्राप्त कर पंजीयन करावेंगे।
15. म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों के लिए जो 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं उन पर केवल पैरामेडिकल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ही चयन का लाभ दिया जाना सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / अधिष्ठाता/संचालक) अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।
16. यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को अनुमति इन पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता/संचालक) जवाबदेह होंगे। (संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. का पृ.पत्र क्र. 748-51/स्था/अराज/2007 दिनांक 5.11.2007 के अनुसार)
17. विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कोई भी अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से चिकित्सा व्यवसाय, पैथालाजी लेबों का संचालन, मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कर सकेगा। (म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का पत्र क्र./एफ-296/याचिका/206/011 भोपाल दिनांक 20.01.2011 के अनुसार)
18. संस्था द्वारा संचालित सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र स्वतंत्र रूप से पैथालाजी लेब, अस्पताल आदि का संचालन नहीं कर सकेगा अपितु आयुर्विज्ञान परिषद/बोर्ड/काउन्सिल से पंजीकृत चिकित्सक के मार्गदर्शन में क्लिनिकल जांच आदि का कार्य सम्पादित कर सकेगा।  
इस प्रकार का कृत्य मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 13 तथा 24 एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन है।
19. सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र किसी मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर, दवाईयों से संबंधित पर्चा नहीं लिख सकेगा। यह समस्त कार्यवाही वह मान्य अर्हताधारी, पंजीकृत चिकित्सक के निर्देशन में तथा उसकी मौजूदगी में ही सम्पादित करेगा।

20. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
21. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित शासकीय कर्मचारी के लिये किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) सुनिश्चित करेंगे।
22. संबंधित कर्मचारी का उक्त प्रशिक्षण में चयन होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी(जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) सुनिश्चित करेंगे।
23. विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन-पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।
24. प्रशिक्षण उपरान्त भी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती, पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं रहेगा।
25. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन आदेश जारी होने के उपरान्त ही संबंधित संस्था से आदेश की प्रति प्राप्त होने पर ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्य मुक्त किया जावे।
26. अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अनुमति प्रमाण-पत्र में सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/संचालक /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) आवेदनपत्र के प्रो-फार्मा प्रमाण-पत्र (विभागीय कर्मचारी) में बिन्दु क्र. 02 में यह दर्ज करे कि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणीका के दिशा -निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।
27. विभागीय शासकीय कर्मचारियों को परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण उपरान्त इसी संस्था में 03 माह की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। परिषद की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरान्त अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे एवं परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु (इन्टर्नशिप) इसी संस्था में उपस्थित होना होगा।

#### द. पाठ्यक्रम शुल्क

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग प्रदेश शासन के परिपत्र क्र./पोमिद्य/परिपत्र/2004-05/3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/पोमेछा/परिपत्र/2012-13/3660 इंदौर दिनांक 2.7.2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने पालक का आय-प्रमाण एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

**एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क**

| क्र. | विवरण                        | शुल्क           |
|------|------------------------------|-----------------|
| 1    | शिक्षण शुल्क                 | रु. 10000       |
| 2    | खेलकूद मनोरंजन               | रु.1000         |
| 3    | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क       | रु.1000         |
| 4    | प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क | रु.1000         |
| 5    | सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)   | रु.5000         |
|      | <b>कुल योग रु.</b>           | <b>रु.18000</b> |

1. अनुसूचित जाति (आय 3 लाख रु से अधिक) रु. 18000/-

2. अनुसूचित जनजाति (आय 3 लाख रु से अधिक) रु. 18,000/-

3. अन्य पिछड़ा वर्ग (आय 75,000/- से अधिक) रु. 18,000/-

4. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी रु. 18,000/-

**द्वितीय वर्षीय (प्रथम वर्ष) पाठ्यक्रम शुल्क**

| क्र. | विवरण                        | शुल्क              |
|------|------------------------------|--------------------|
| 1    | शिक्षण शुल्क                 | रु. 15000/-        |
| 2    | खेलकूद मनोरंजन               | रु.1000/-          |
| 3    | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क       | रु.1000/-          |
| 4    | प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क | रु.1000/-          |
| 5    | सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)   | रु.5000/-          |
|      | <b>कुल योग रु.</b>           | <b>रु.23,000/-</b> |

**द्वितीय वर्ष शुल्क**

द्वितीय वर्ष डिप्लोमा      18,000/-

### आवश्यक नोट -

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क 23000/- प्रथम वर्ष रहेगा चयनित उम्मीदवारों को प्रथम वर्ष का शुल्क अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग के समय जमा करना होगा तथा द्वितीय वर्ष के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 18000/- रहेगा।
2. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क 18,000/- रु. रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम शुल्क अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग के समय जमा करना होगा।

नोट - अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को आदिम जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन फार्म की पूर्ति करने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं उक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक एकाउन्ट होना अनिवार्य है।

- सहचिकित्सीय परिषद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन व परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से देय होगा। साथ ही समय-समय पर निर्धारित विशेष अन्य शुल्क भी देय हो सकता है। प्रत्येक श्रेणी के सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को पूर्ण फीस देय होगी।
- फीस नगद अथवा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (**Dean & C.E.O., M.G.M Medical College, Indore**) के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पाठ्यक्रम चयन (काउन्सिलिंग के दौरान) के दौरान ही करना अनिवार्य होगा होगी अन्यथा उसकी प्रवेश पात्रता स्वतः ही समाप्त मान ली जावेगी।
- एक बार जमा की गई फीस किसी भी आधार पर वापस नहीं की जावेगी। सिर्फ सुरक्षा निधि (कॉशन मनी) ही पाठ्यक्रम समाप्ति पर अथवा प्रवेश निरस्त होने पर वापस की जावेगी।
- किसी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निकाले जाने पर अथवा वह स्वयं महाविद्यालय से पृथक होगा तो किसी भी फीस की वापसी नहीं होगी।

### इ. प्रवेश प्रक्रिया

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। प्राविण्य सूची के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। उपलब्ध सीट के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-
  - क. हायर सेकेन्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 की मूल अंकसूची तथा दो अभिप्रमाणित छायाप्रति।
  - ख. स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.) मूल प्रति होना आवश्यक है।
  - ग. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्शायी गई हो)
  - घ. मूल निवासी प्रमाण-पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)
  - ड. यदि लागू हो तो - जाति प्रमाण-पत्र/विकलांग प्रमाण-पत्र/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र / सैनिक का प्रमाण पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)

- च. पिता/माता/पालक (माता पिता यदि दोनों नौकरी या व्यवसाय) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वर्तमान का आय प्रमाण-पत्र
- छ. निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।
- ज. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- झ. काउंसलिंग के समय उक्त समस्त मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- न. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधिन प्रवेश लेने हेतु जिला कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा। मार्कशीट, सर्टीफिकेट एवं अन्य दस्तावेजों में नाम अलग-अलग होने की स्थिति में उससे संबंधित वैद्य दस्तावेज।

#### फ. प्रवेश निरस्तीकरण

विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जायेगा :-

1. यदि यह पाया गया कि विद्यार्थी ने किसी झूठी या अधूरी सूचना के आधार पर प्रवेश लिया है या प्रवेश किसी त्रुटिवश या शंकास्पद स्थिति में दिया गया है। ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा।
2. जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि प्रवेश दिनांक से 15 दिन तक पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायेंगे उनकी प्रवेश पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। किसी उचित कारण से देरी होने पर पाठ्यक्रम अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। तत्पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
3. प्रवेश के पश्चात बिना किसी सूचना के एक सप्ताह तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने पर पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।
4. महाविद्यालयीन परिसर में अथवा उसके बाहर भी कोई भी छात्र किसी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है अथवा रैगिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है अथवा कक्षा में अनाधिकृतरूप से अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
5. अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार का दोषी पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

#### ग. विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

1. महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः अनुशासित रहे एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारी से पालन करें।
2. थ्योरी कक्षा में 75 प्रतिशत तथा प्रायोगिक कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
3. प्रत्येक छात्र व उसके पालक की जवाबदारी होगी की समय-समय पर वो कक्षा में उपस्थिती प्रतिशत तथा पढ़ाई संबंधित जानकारी लेते रहे।
4. नीला एप्रन पहनने पर ही विद्यार्थी को कक्षा/लेब में प्रवेश प्राप्त होगा।

5. फिलहाल छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपनी रहने की व्यवस्था छात्र को स्वयं ही करनी होगी।

### ज. महत्वपूर्ण तिथियां

1. भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख : 20/07/2015 शाम 5 बजे तक
2. प्रावीण्य सूची की घोषणा : 27/07/2015  
(सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति की सूचना 3 दिवस के भीतर संबंधित अधिकारी को दी जानी चाहिये)
3. काउन्सिलिंग एवं फीस जमा करने की तारीख : 31/07/2015  
(स्थान: एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज सभाग्रह। समय प्रातः 9 बजे)
4. नियमित कक्षाएँ प्रारम्भ होने की तारीख : 07/08/2015

### काउन्सिलिंग कार्यक्रम :-

सुबह 9 से 1 बजे तक

1. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रथम चरण में होगी तदुपरान्त प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग होगी।
2. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी
3. अनुसूचित जाति
4. अनुसूचित जनजाति
5. अन्य पिछड़ा वर्ग

2.30 से 4.30 तक - अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग की शेष बची हुई सीटों के लिए।

एक वर्षीय सह-चिकित्सा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु

**कार्यालयीन उपयोग हेतु**

फीस प्राप्त हुई  
रु.  
रसीद क्रं.  
दिनांक

एक वर्षीय सह-चिकित्सा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

1. ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन कोर्स,
2. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ई.सी.जी.) तकनिशियन कोर्स,
3. आर्थोपेडिक्स तकनिशियन कोर्स,
4. एनेस्थिसिया तकनिशियन कोर्स
5. एक्स- रे रेडियोग्राफर तकनिशियन कोर्स

दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु

1. मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन
2. ऑप्टोमेट्री ऑसिसटेन्ट कोर्स

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .....

2. लिंग :- महिला/पुरुष ..... (कृपया अन्य काट दें)

3. पिता/ पति का नाम (हिन्दी में) .....

पिता / पति का नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में).....

माता का नाम .....

4. श्रेणी - अनारक्षित / अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /

स्वतंत्रता सेनानी / विकलांग / सैनिक (कृपया अन्य काट दें)

5. स्थायी पता : .....

दूरभाष : ..... मोबाईल नं. ....

स्थानीय पता : .....

..... दूरभाष : ..... मोबाईल नं. ....

6. जन्म दिनांक ..... शब्दों में जन्म दिनांक .....

(आयु दिनांक 31.07.2015) ..... वर्ष ..... माह ..... दिन

7. जन्म स्थान ..... जिला .....

राज्य ..... राष्ट्रीयता.....

8. स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता (बाहरी अभ्यर्थियों के लिये) : .....

..... दूरभाष : ..... मोबाईल नं. ....

निर्देशिका के पाठ्यक्रम शुल्क तालिका अनुसार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. गाँ. स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, स्वशासी संस्था, इन्दौर के नाम से विषय आवंटन के समय ही जमा करना होगी, अन्यथा प्रवेश पात्रता रद्द हो जावेगी।

9. शैक्षणिक योग्यता :

| परीक्षा का नाम         | बोर्ड का नाम | वर्ष | विषय          | कुल अंक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|------------------------|--------------|------|---------------|---------|------------|---------|
| हायर सेकेण्डरी<br>10+2 |              |      | जीवन विज्ञान  |         |            |         |
|                        |              |      | रसायन शास्त्र |         |            |         |
|                        |              |      | भौतिक शास्त्र |         |            |         |
|                        |              |      | हिन्दी        |         |            |         |
|                        |              |      | अंग्रेजी      |         |            |         |
|                        |              |      | कुल अंक       |         |            |         |

10. कृपया निम्नलिखित की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें :-

क. कक्षा बारहवीं 10 + 2 हायर सेकेण्डरी की अंकसूची।

ख. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.)

राजपत्रित  
अधिकारी  
द्वारा अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट आकार का  
वर्तमान का  
फोटो चिपकाएँ

पूर्व पृष्ठ से :-

**केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2015**

श्री/ श्रीमती ..... पद .....  
विभाग का नाम .....नियुक्ति की दिनांक ..... को  
पैरामेडिकल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इजाजत दी जाती है।

उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक : ..... सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व नाम  
(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ संचालक)  
स्थान : ..... अधिकारी का नाम .....  
विभाग का नाम .....  
एवं फोन/मोबाइल नंबर .....  
विभाग की सील .....

नोट:-उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संचालक) सुनिश्चित करेंगे।

पूर्व पृष्ठ से :-

**केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2015**

श्री/ श्रीमती ..... पद .....  
विभाग का नाम .....नियुक्ति की दिनांक ..... को  
पैरामेडिकल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इजाजत दी जाती है।

उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक : ..... सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व नाम  
(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ संचालक)  
स्थान : ..... अधिकारी का नाम .....  
विभाग का नाम .....  
एवं फोन/मोबाइल नंबर .....  
विभाग की सील .....

नोट:-उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संचालक) सुनिश्चित करेंगे।